

अपील सूचना अधिकार संख्या 110/2021 (GCMS 2021/171)(आईटीआई
पोर्टल नं. 212986379296197) सुरेश कौल पुत्र मनमोहन कौल, वार्ड नं 32,
मिनि मार्केट, सूरतगढ मोबाईल नं. 63501-27668 बनाम उपखण्ड
अधिकारी, सूरतगढ

25.04.2022

पत्रावली पेश हुई अपीलार्थी सुरेश कौल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि
अपीलार्थी सुरेश कौल ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 15.08.2021 को पांच बिन्दुओं की सूचना
दिनांक चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई
है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित
सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुरेश
कौल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक
15.08.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:

1. नागरिक अधिकार मंच द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र
क्रमांक 78/2021 दिनांक 20.07.21 को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रजि. डाक से आपको प्रेषित पर आप
द्वारा की गई कार्यवाही एवं न.पा. को जारी आदेश की जांच
आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. उपखण्ड अधिकारी को ना.अ. मंच सूरतगढ द्वारा आपको
ज्ञापन पत्र क्रमांक 80/2021 दिनांक 06.08.2021 पर की गई
कार्यवाही एवं पालिका द्वारा प्रेषित जवाब जांच रिपोर्ट आदि
की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
3. पालिका द्वारा वार्ड नं. 32 में बस्तीराम सारवंला के घर
आर्डर की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करावें।



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. बस्तीराम सांखला से नम्बर स्कूल तक सड़क निर्माण के लिये तैयार की गई लेबल शीट की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करावें।
5. वार्ड नं. 32 में सांखला टेलर (बस्तीराम सांखला के घर से 2 नं. स्कूल तक के व अन्य स्थानों पर सड़क व अन्य कार्य निर्माण के संबन्ध में अन्य सभी कार्यों की पूरी जानकारी दें व बतावे कि कितना-कितना कार्य वार्ड में कहां कहां करवाया जाना है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ/2021/2004 दिनांक 24.11.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

प्रार्थी सुरेश कौल वार्ड नं. 32 मिनी मार्केट, सूरतगढ का सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त हुआ।

प्रार्थी सुरेश कौल द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 की सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2021/1402 सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 26.09.2021 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर दी गई थी। जिसकी छायाप्रति सलंगन है। प्रार्थी को शेष सूचना अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ द्वारा नियमानुसार उपलब्ध करवाई जानी थी।

प्रार्थी द्वारा बिन्दुवार चाही गई सूचना का सम्बन्ध इस कार्यालय से न होकर नगरपालिका सूरतगढ से होने के कारण प्रार्थी का सूचना का अधिकार 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र मूल ही

मय आईपीओ प्रार्थी को समायावधि में नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2021/1400 दिनांक 26.08.2021 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ का हस्तान्तरित किया जा चुका था जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 26.08.2021 द्वारा प्रेषित की गई थी। जिसका प्रार्थी सुरेश कौल द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में वर्णन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पक्षकार बनाते हुए श्रीमान न्यायालय में उक्त अपील गलत रूप से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील पक्षकारों के कुसंयोजन से ग्रसित होने के कारण सब्यय निरस्त करने की मेहरबानी फारमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2021 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2021/1400-01 दिनांक 26.08.2021 की छायाप्रति पत्र के संलग्न सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

-sd-

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ/2021/1400 दिनांक 26.08.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ को हस्तान्तरित किया है और इसकी प्रति प्रार्थी को भी सूचनार्थ भिजवाई जा चुकी है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा **2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत

नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी यदि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसे अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। यहां से अपील निस्तारित की जाती है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मिणी रियार सिंह)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीमंगलनगर